निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या 41/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

सलीमुद्दीन खान पुत्र श्री अकबर खान, जाति मुसलमान, निवासी हाल मकान नम्बर 134, संजय नगर–बी, झोटवाड़ा, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. मोहम्मद शमी पुत्र श्री सलीमुद्दीन खान
2. मोहम्मद शाकिर पुत्र श्री सलीमुद्दीन खान

निवासी मकान नम्बर 4023, नीदड़ राव जी का रास्ता, मोहल्ला कायमखानी, चांदपोल बाजार, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.11.2022 उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण संख्या 114/2022 ब–उनवानी सलीमुद्दीन खान बनाम मोहम्मद शमी व अन्य

उपस्थित :–

1. अपीलार्थी स्वंय उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 26.02.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण संख्या 114/2022 ब–उनवानी सलीमुद्दीन खान बनाम मोहम्मद शमी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.11.2022 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा जवाब पेश किया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2022 कानून व तथ्यो के विपरीत है। अपीलार्थी का इसी वर्ष रीढ की हड्डी का आपरेशन हुआ है जिस कारण अपीलार्थी को चलने फिरने व सीढियां चढने में परेशानी होती है तथा प्रार्थी का वर्तमान में इलाज चल रहा है तथा दवाईयां व अन्य जरूरी सामान भी इस मंहगाई के युग में अपीलार्थी द्वारा ही वहन किया जा रहा है, जबकी अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 17.11.2022 में जो भरण पोषण राशि

जिला (मजिस्ट्रेट) जयपुर

दिलवाये जाने का आदेश दिया है उस राशि में इस मंहगाई के युग में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति होना नामुमकिन है। अपीलार्थी स्वयं के स्वामित्व व मकान होने के बावजूद वह किराये के मकान में रहने को मजबूर है जिसका किराया ही 8500/–रूपये प्रतिमाह है तथा अपीलार्थी के स्वयं के स्वामित्व के मकान का प्रतिमाह किराया 40,000/–रूपये आ रहा है, जिसे प्रत्यर्थीगण ले रहे है एवं अपीलार्थी को उक्त किराया राशि में से कुछ भी नहीं दे रहे है, जबकि अपीलार्थी के इलाज व दवाईयों पर ही प्रतिमाह काफी खर्चा हो जाता है। अपीलार्थी हाई ब्लड प्रेशर व डायबिटीज का मरीज है जिसकी प्रतिदिन नियमित रूप से दवाईयां अपीलार्थी को लेनी होती है तथा रीढ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद उसे चलने फिरने व सीढिया चढने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड रहा है। जिस हेतु अपीलार्थी को स्वयं के मकान में ग्राउण्ड फ्लोर निवासार्थ हेतु प्रत्यर्थीगण के कब्जे से दिलाया जावे ताकि अपीलार्थी को उसे रहने व मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति हेतु कोई बाधा उत्पन्न ना हो। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के स्वामित्व के मकान पर अवैध कब्जा कर सम्पूर्ण परिसर को किराये पर चलाया जा रहा है तथा लगभग 40,000/–रूपये की आय किराये से अर्जित की जा रही है। चूंकि उक्त सम्पति अपीलार्थी के एकल स्वामित्व की है जिस कारण उक्त सम्पति के अर्जित किराये में से 20,000/–रूपये दिलवाये जावे। अधीनस्थ अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 17.11.2022 में पत्रावली पर अप्रार्थीगण की आय 40,000/–रूपये प्रतिमाह से अधिक एवं किराये से प्राप्त आय लगभग 40,000/–रूपये अधिक के साक्ष्य है। उक्त तथ्य के बावजूद प्रत्यर्थीगण ने अपनी आय के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यों को जाहिर ना कर मात्र अपने जीवन के विलासपूर्ण सुविधाओं का खर्च नहीं बताया एवं उसके संबंध में कोई सुदृढ साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण का आदेश दिनांक 17.11.2022 को संशोधित कर अंतरिम भरण पोषण राशि 5,000/–रूपये बढा कर 20,000/–रूपये दिलाये जाने के आदेश फरमावें।

4. प्रत्यर्थी संख्या एक ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलान्ट अपनी युवा वस्था में अपनी पहली पत्नी रशीदा बेगम से चार बच्चे पैदा करके अलग हो गया। उत्पन्न संतानों का लालन पालन भी नहीं किया। न ही किसी प्रकार से कोई देखरेख की, न ही उनकी शादी / निकाह किया तथा यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रेस्पोडेन्ट्स के दादा महरूम हाजी सुलेमान साहब ने रेस्पोडेन्ट 1 का निकाह किया। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट्स की दादी ने रेस्पोडेन्ट्स की बहिन सन्नो, व जाकिरा का निकाह अपने स्तर पर सम्पन्न किया। अपीलार्थी ना तो निकाह में शरीक हुआ न ही लेशमात्र निकाह का खर्चा वहन किया तथा यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का निकाह रेस्पोडेन्ट्स की माता रशीदा बेगम ने अपने स्तर पर खर्चा वहन कर निकाह सम्पन्न किया तथा इसमें भी अपीलान्ट की ना तो उपस्थिति थी और ना ही किसी प्रकार का खर्चा वहन किया गया । विवाह के अवसर पर मेहमानों की उपस्थिति होने तथा इसी का फायदा उठा कर अपीलान्ट ने उस वक्त भी उपरोक्त वर्णित मकान 4023 नींदड राव जी का रास्ता मोहल्ला कायम खानी चांदपोल बाजार जयपुर में जबरन घुसाने का प्रयास किया, परन्तु महमानों की उपस्थिति होने के कारण वह अपने कुत्सित उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो पाया तथा प्रारम्भ से आज तक अपीलान्ट उपरोक्त मकान पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। मकान नम्बर 4023 नींदड राव जी का रास्ता मोहल्ला कायम खानी चांदपोल बाजार जयपुर रेस्पोडेन्ट के दादा महरूम हाजी, सुलेमान खान वल्द महरूम कालू खान गौड द्वारा रेस्पोडेन्ट की माता रशीदा बेगम को संबंधित

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

लिखित विलेख के पश्चात रेस्पोडेन्ट की माता संबंधित सम्पत्ति के एक मात्र मालिक स्वामिनी चली आ रही है जिसमें अपीलान्ट का किसी प्रकार से कोई संबंध सरोकार नही है। अपीलान्ट अपनी जीवन काल में उच्च स्तर का ठेकेदार विभिन्न सरकारी विभागों में रहा है जिससे अपीलान्ट ने लाखों करोड की जायदाद बना रखी है जिसका विवरण अपीलान्ट ने जान बूझ कर प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया । जो कि "Concelled of fact की परिधी में आता है। सुस्थापित विधि यह है कि परिवादी को अधिकरण हाजा में न्याय हेतु क्लीन हैण्ड से उपस्थित होना अति आवश्यक है, परन्तु अपीलान्ट ने बेईमानी पूर्वक मिथ्या आधारों पर कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट को उपरोक्त वर्णित मकान अपने महरूम दादा से होते हुए अपनी मा रशीदा बेगम से प्राप्त हुई सर्व प्रथम उपरोक्त सम्पत्ति अप्रार्थीगण के दादा ने रेस्पोडेन्ट्स की माता रशीदा बेगम को सम्भलाई तब उस वक्त उक्त सम्पत्ति के भूतल पर एक कोटडी, प्रथम मंजिल पर पुख्ता पट्टी पोश मकान व दूसरी मंजिल पर दो कमरे निर्मित थे, इसके पश्चात सम्पत्ति में और ईजाफा करते हुये रेस्पोडेन्ट्स ने पडौस में लगती हुई सम्पत्ति को अपनी स्वयं की स्व अर्जित आय से क्रय कर उस पर पुख्ता और निर्माण कराया गया। जिसमें अपीलार्थी का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है तथा संबंधित सम्पत्ति का रेस्पोडेन्ट्स व उनकी माता रशीदा बेगम की सम्पत्ति है जो उन्हें दादा हमरूम हाजी सुलेमान खान जी से बाकायदा लिखित विलेख से सम्पूर्ण प्राप्त हुई है। तभी से रेस्पोडेन्ट की माता व उनका रिहायशी कब्जा निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। अकबर खां के पास दो सम्पत्ति थी। जिसमें से एक को सलीमुद्दीन द्वारा बेचान कर दिया व एक रशीदा बेगम के पास गिफ्ट से आई है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के साथ अन्य भाई बहिन व उनकी माता रशीदा बेगम को तन्हा छोड कर अन्य निकाह कर लिया, जिसके कारण रेस्पोडेन्ट व अन्य भाई बहिन व उसकी माता रशीदा बेगम पर संकट का पहाड टूट पड़ा तथा इसी कारण रेस्पोडेन्ट के दादा महरूम हाजी सुलेमान साहब ने रेस्पोडेन्ट्स व अन्य भाई बहिन व माता रशीदा बेगम को ऐसे बुरे वक्त में मायत होने का फर्ज अदा करते हुये सहारा देते हुये उक्त सम्पत्ति रेस्पोडेन्ट की माता रशीदा बेगम को सम्भालाई ताकि वह स्वयं के साथ–साथ अपने बच्चों के लालन पालन में उक्त सम्पत्ति का उपयोग उपभोग कर सके। अपीलार्थी ने अपने पूरे जीवन काल में विभिन्न सरकारी विभागों के ठेके प्राप्त कर उनसे लाखों करोड की कमाई अर्जित की है जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी ने गुप्त रूप से बेनामी सम्पत्तियों का **अर्जन** कर उनसे लाखों की कमाई करता आ रहा है तथा दिखावटी व नुमाईशी तौर पर किराये से रहने वाली बात मान्य अधिकरण में बडी होशियारी से प्रस्तुत की है। इसी कारण अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा अपीलार्थी अयाश किस्म का व्यक्ति है जिसके कारण अपीलार्थी ने रस्पोडेन्ट व अन्य भाई बहिनों व उनकी माता रशीदा बेगम को तन्हां छोड कर दूसरा निकाह कर लिया तथा दूसरे निकाह से एक लडका शहनवाज पैदा हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी, रेस्पोडेन्ट्स से किसी प्रकार का हर्जा खर्चा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश से दिलाई गई भरण पोषण राशि 2500–2500 रूपये को कम बताते हुये बढा कर 20,000/–रूपये दिलाये जाने का अनुतोष चाहा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

है। अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत भरण पोषण के लिए अधिकतम राशि 10,000/–रूपया दिये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी के दो पत्नियां है एक पत्नी से पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 है। दूसरी पत्नी से पुत्र शहनवाज है । तीनों पुत्रों से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है । अपीलार्थी ने एक पत्नी के दोनों पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से ही भरण पोषण की राशि चाही है जबकि दूसरी पत्नी के पुत्र शहनवाज से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, उसे इस मामले में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट्स की आय को मध्य नजर रखते हुये भरण पोषण राशि 3500–3500 रूपये दिलाये जाना उचित है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है ।

7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.11.2022 को अपास्त किया जाता है। दिनांक 01.03.2024 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलार्थी को पृथक पृथक 3500–3500 रूपये जरिये बैंक खाता भुगतान किये जाने के आदेश दिये जाते है।
8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण जयपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।
9. निर्णय आज दिनांक **26.02.2024** को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner